न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00421

महावीर आत्मज श्री मोड्या जाति बलाई निवासी ग्राम रामगंज बालाजी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री कालू जी जाति बलाई निवासी ग्राम रामगंज बालाजी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय राजस्थान राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 बून्दी

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 160 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 163 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा मौके पर अपने पिता के जीवनकाल से विभाजन किया जाकर कृषि कार्य किया जा रहा है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वर्तमान में दिनांक 12.11.2009 को जारी गजट सूचना में भूमि खसरा नम्बर 163 में से 0.10 हैक्टर भूमि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित करने का प्रस्ताव बनाया है । उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है । उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जे एवं काश्त की है तथा भूमि का अधिग्रहण का तथ्य प्रतिवादी कम 01 की जानकारी में आने पर प्रतिवादी कम

01 के द्वारा भूमि पर आकर दिनांक 22.11.2009 को जबरन कब्जे का प्रयास किया । प्रतिवादी कम 01 उक्त भूमि का मुआवजा स्वयं लेने पर आमादा हैं तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर न तो स्वयं कब्जा करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से पर वादी अपीलान्ट के पिता एवं उनके स्वर्गवास के उपरान्त से अपीलान्ट पिछले 50 वर्षो से आपसी सहमति एवं मौखिक पारिवारिक विभाजन के आधार पर तन्हा रूप से निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय को पुराने कब्जे को ध्यान में रखकर विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु तहसीलदार बून्दी को निर्देशित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् विभाजन की डिक्री त्रुटिपूर्ण रूप से पारित की गई है । वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट के पिता एवं उसके उपरान्त अपीलान्ट पिछले 50 वर्षों से आपसी सहमति और मौखिक पारिवारिक विभाजन के अनुसार तन्हा रूप से खसरा नम्बर 160 की 02 बीघा, खसरा नम्बर 163 की 06 बीघा 17 बिस्वा कुल 02 किता की 08 बीघा 17 बिस्वा में से पूर्वी दिशा की 01 बीघा एवं 03 बीघा 09 बिस्वा पर काबिज चले आ रहे हैं इसमें अपीलान्ट ने बोरिंग खुदवाया, तार फेसिंग करवा रखी है । अधीनस्थ न्यायालय को दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए । परीक्षण न्यायालय ने निर्णय की पालना में डिक्री भी नहीं बनायी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि पुराने कब्जे एवं भू–सुधार कार्य को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करें । अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1974 (उडीसा) पेज 145 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । प्रारम्भिक डिक्री में हिस्से तय किये गये हैं और कब्जे का ध्यान अंतिम डिक्री में विभाजन प्रस्ताव आने के बाद रखा जावेगा । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2016–17 (सप्ली0) पेज 714 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसमें जवाबदावा प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया था । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में पारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री वादी एवं प्रतिवादी के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार पारित की है और विभाजन प्रस्ताव के लिए आगामी तिथि अंकित की है । राजस्व रिकॉर्ड जो पत्रावली पर पेश किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा निहित है । तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में परीक्षण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । वादी अपीलान्ट का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर पिता के जीवनकाल से ही विभाजन रहा है और उसने अपने हिस्से की आराजी में राशि विनियोजित करके बोरिंग करवाया है और भूमि सुधार कार्य किया गया है । ऐसी स्थिति में उनके कब्जे का ध्यान रखकर ही डिक्री पारित की जानी चाहिए । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन के बाबत् परीक्षण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना उचित समझते हैं कि अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार बून्दी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करें और विभाजन प्रस्ताव आने के उपरान्त अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर अंतिम डिक्री पारित करें ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जात है । प्रकरण परीक्षण को न्यायालय प्रतिप्रेषित कर ये दिशा–निर्देश दिये जाते है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव आने के उपरान्त अपीलान्ट को अपने कब्जे के बाबत् साक्ष्य पेश करने एवं आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम डिक्री हेतु उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/08/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2015/00421

महावीर आत्मज श्री मोड्या जाति बलाई निवासी ग्राम रामगंज बालाजी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री कालू जी जाति बलाई निवासी ग्राम रामगंज बालाजी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय राजस्थान राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 बून्दी

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 61/दावा/2010

महावीर आत्मज श्री मोड्या जाति बलाई निवासी ग्राम रामगंज बालाजी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री कालू जी जाति बलाई निवासी ग्राम रामगंज बालाजी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय राजस्थान राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 बून्दी

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामकुमार दाधीच के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.06.2015 बहाल रखा जात है । प्रकरण परीक्षण को न्यायालय प्रतिप्रेषित कर ये दिशा–निर्देश दिये जाते है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव आने के उपरान्त अपीलान्ट को अपने कब्जे के बाबत् साक्ष्य पेश करने एवं आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम डिक्री हेतु उपस्थित हों ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

18/8/2021

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा